2.1

प्रपत्र– 11

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में पांडेखरक जिजोली राजकीय पौलिटेकनिक हेतु मोटर मार्ग का निर्माण ।

प्रतिवेदन

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 668/ 2015 के अन्तर्गत राज्य योजना में शासनादेश संख्या 4417/ 111(2)/ 15–04(मु.मं.घो)/2015 दिनांक 27.05.2015 द्वारा जनपद बागेश्वर में विधान सभा क्षेत्र, बागेश्वर के अन्तर्गत गरूड़ ब्लौक के पांडेखरक जिजोली राजकीय पौलिटेकनिक हेतु मोटर मार्ग 2.00 कि0मी0 लम्बाई एवं रू0 28.64 लाख की (प्रथम चरण–यथा सर्वेक्षण, वनभूमि की स्वीकृति आदि कार्यों हेतु) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

विकास खंड गरूड़ में स्थानीय शिक्षित युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा पाडेखरक जिजोली में राजकीय पौलिटेकनिक की स्थापना की गयी है जिसमें भवन निर्माण उपरान्त विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण कार्य संचालित हो रहा है। इस क्षेत्र का स्थानीय बाजार गरूड़ में है जहां पर सभी सरकारी एवं अर्धसरकारी संस्थान यथा – विभिन्न बैक, डाकघर, सरकारी अस्पताल, सरकारी एवं गैरसरकारी शिक्षण संस्थान, राजकीय महा विघ्यालय, विकास खंड कार्यालय, तहसील कार्यालय के साथ ही अन्य विभागों के कार्यालय भी अवस्थित हैं। साथ ही इस क्षेत्र में तैनात होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निजी आवासीय सुविधा भी गरूड़ में उपलब्ध हो जाती हैं। गरूड़ बाजार से राजकीय पौलिटेकनिक की दूरी 2 कि.मी. है जो ऊँचाई पर स्थित है। पौलिटेकनिक में अध्ययनरत छात्र छात्राओं एवं कार्यरत कर्मचारियों को अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं को गरूड़ बाजार से लाने हेतु लगभग 10 कि.मी. घूम कर आना जाना पड़ता है। अनावश्यक समय की बरबादी होने से इसका असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। स्थानीय अभिभावकों द्वारा इस समस्या के निदान हेतु काफी समय से गरूड़ बाजार के निकट से पौलिटेकनिक तक लिंक मोटर मार्ग निर्माण की मााांग की जा रही थी। उसी क्रम में यह लिंक मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया है।

इस मार्ग का सर्वेक्षण कौसानी–बैजनाथ राष्ट्रीय राज्य मार्ग सं0 11 के दर्शानी नामक स्थान से आरम्भ किया गया है और पौलिटेकनिक तक कुल लम्बाई 2 कि0मी0 आती है। इस लिंक मोटर मार्ग का निर्माण होने से स्थानीय बच्चों को पालिटेकनिक एवं विध्यालयों में आने जाने में सुविधा होगी जिससे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रामीण लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 7 मीटर चौड़ाई में ही भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावित किया गया है जिसमें अवशेष मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थलों के क्षेत्रफल को भी सम्मिलित किया गया है। मोटर मार्ग के संरेखण में आरक्षित वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही हैं।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही 1:50000 पैमाने के टोपोसीट मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

संरेखण नं0 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण कौसानी–बैजनाथ राष्ट्रीय राज्य मार्ग के दर्शानी नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार सम्पूर्ण लम्बाई में सिविल सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि आती है। बैन्ड कम आते हैं एवं वृक्ष कम प्रभावित होते हैं। मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण प्रथम संरेखण के अनुसार ग्राम दर्शानी के दूसरी ओर से रखा गया है जिसमें सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि के अलावा अधिक नाप भूमि एवं वृक्ष प्रभावित होते हैं। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण में मानको के अनुसार ग्रेड न मिलने, अधिक बैन्ड आने एवं ग्रामीणों की आपत्ति के कारण भूवैज्ञानिक द्वारा इसे निरस्त किया गया हैं।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 2.00 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 0.957 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 42 वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रेषित् किया जा रहा है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर